No.2-6/2021-Admn.V
Government of India
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
Department of Fisheries

Chandra Lok Bldg, Janpath,
New Delhi, the March, 2021

Office Memorandum

Subject: Amendment of RRs for the post of Director General in Fishery Survey of India-reg.

The undersigned is directed to say that as per DoPT OM No.AB-14017/61/2008-Estt(RR) dated 13-10-2015 the proposal for framing/amendment of Recruitment Rules are to be uploaded on the website of respective Ministries/Departments for 30 days for inviting comments from the stakeholders.

Therefore, the draft Recruitment Rules to the post of Director General in Fishery Survey of India, Mumbai under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying, Department of Fisheries are uploaded (Hindi & English) on the website of this Department for information of stakeholders. All stakeholders are requested to go through the draft RRs and furnish their comments, if any, to the undersigned within a period of one month from the date of its uploading on the website. In case, no comments are received within the stipulated time, the Department will proceed further for taking necessary action for amendment of aforementioned draft Recruitment Rules.

Encl: a.a.

(Kham Khan Suan)
Under Secretary to the Govt of India
E mail: fisheryadmn@yahoo.co.in

To

All concerned Stakeholders

Copy to:

i) DG, FSI, Mumbai-a copy of draft RRs of DG, FSI is enclosed with a request to upload the same on the website of FSI along with the above OM.
ii) NIC, Department of Animal Husbandry & Dairying/Deptt of Fisheries for uploading the above OM along with enclosures on the website of this Deptt under the title ‘Recruitment Rules’.

[To be published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section(i)]

Government of India
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying
(Department of Fisheries)

Notification

New Delhi, the March, 2021

G.S.R…….- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Fishery Survey of India(Director General) Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director General in the Fishery Survey of India, Mumbai under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry, and Dairying, Department of Fisheries, namely:-

1. **Short title and commencement.-**(1) These rules may be called the Fishery Survey of India(Director General) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, and the level in the pay matrix.-**The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.-**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.- No person,-
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any classes or category or persons.

6. Saving.-Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether Selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Director General	1(One)* (2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Level-13A of the pay matrix (Rs.131100-216600/-)	Not applicable	Not applicable

Educational qualification and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Composite method[Deputation(including short-term contract) plus promotion]

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, the grades from which promotion/deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Composite method: Deputation(including short-term contract) plus promotion Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Public Sector Undertakings or Recognized Research Institutions or Councils or semi-government or statutory or autonomous organizations,- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department, or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-13 of pay matrix(Rs.123100-215900/-) or equivalent in the parent Cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely: (i)Masters degree in Marine Biology or Zoology or Oceanography or Fisheries Science or Industrial Fisheries from a recognized University; or Post-graduate Diploma in Fisheries Science from the Central Institute of Fisheries Education, Mumbai; (ii)Ten years experience in Marine Fisheries Research and Development including five years experience in planning, programming, implementation and monitoring of fisheries resources survey by deployment of vessels. Desirable: PhD in Marine Biology/Zoology/Oceanography/Fisheries Science/Industrial Fisheries	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up the post

Note: The Departmental Deputy Director General(Fisheries) in Level-13 of pay matrix(Rs.123100-215900/-) possessing the qualification and experience at (b) above with two years regular service in the grade will also be considered and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation(including shot-term contract) including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed seven years. The maximum age limit for appointment by deputation(including short- term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.		

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri, Ring Road,
New Delhi(with Hindi version)

Copy to:

1. DG, FSI, Mumbai
2. Ministry of Law and Justice, Shastri Bhawan, New Delhi
3. Ministry of Law & Justice, OL Wing, New Delhi
4. Guard file
5. Spare copies

(Kham Khan Suan)
Under Secretary to the Govt of India
[F.No.2-6/2021-Admn.V]

(भारत सरकार के राजपत्र भाग II, खण्ड-3 उप-खण्ड (i) में प्रकाशानार्थ)

भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, मार्च, 2021

सा.का.नि. -(1)- राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (महानिदेशक) भर्ती नियम, 2010 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग के अधीन भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई में महानिदेशक के पद पर भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (महानिदेशक) भर्ती नियम 2021 है

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**-उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अहर्ताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हरता,-** वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य अधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महानिदेशक	1 (एक)* (2021) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समुह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13क (131100-216600/- रुपये)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित, शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगीं या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या, प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	संयुक्त पद्धति [प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) और प्रोन्नति]

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
संयुक्त पद्धतिः [प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) और प्रोन्नति] केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेकटर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या परिषदों या अर्ध-सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी जोः (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सद्दश पद धारण कर रहे हैं; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 (123100-215900/-रुपये) या समतुल्य के पदों पर अपनी नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर ग्रेड में दो वर्ष की सेवा कर चुके हों।	लागू नहीं होता	पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों अर्थातः- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समुद्रीय जीव विज्ञान या जन्तु विज्ञान या समुद्र विज्ञान या मात्स्यिकी विज्ञान या औद्योगिक मात्स्यिकी में मास्टर डिग्री या केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान मुम्बई से मात्स्यिकी विज्ञान में पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा, (ii) समुद्री मात्स्यिकी शिक्षा अनुसंधान और विकास में दस वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम पांच वर्ष का वास्तविक अनुभव योजना, कार्य क्रमण, क्रियान्वयन और अन्वेषणात्मक मात्स्यिकी जलयान के द्वारा मात्स्यिकी स्रोतों में सर्वेक्षण की मॉनिटरिंग में होना चाहिए। वांछनीय:- समुद्रीय जीव विज्ञान/जन्तु विज्ञान/समुद्र विज्ञान/मात्स्यिकी विज्ञान/औद्योगिक मात्स्यिकी में पी.एच.डी. टिप्पण- श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा के साथ उक्त (ख) में दी गई अर्हता और अनुभव रखने वाले वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 13 (123100-215900/- रुपये) के विभागीय उपमहानिदेशक (मात्स्यिकी) पर भी विचार किया जाएगा और यदि उनका इस पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो इस पद को प्रोन्नति द्वारा भरा समझा जाएगा। पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया सात वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनुयुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय
मायापुरी, रिंगरोड,
नई दिल्ली

प्रतिलिपि

1. महानिदेशक, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई
2. विधि और न्याय मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
3. विधि और न्याय मंत्रालय, राजभाषा विंग, नई दिल्ली
4. गार्ड फाइल
5. अतिरिक्त प्रतियां

(खाम खान सुआन)
अवर सचिव, भारत सरकार
[फा. सा. 2-6/2021-प्रशासन-V]